

माह २०१८

२०/११/२०१८

PORTAL

### सरवरक

(कायदा-129)

२०१८/०८२५६

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

16-2-2018

10-3-18

25/10/16

11-1-18

15/3/18

24/1/16

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला नम्बर 5
212 R.A.	88/2-15	19/8/15	29/6/18	09/8/17
				अन्य नम्बर 6/11/17
				5/12/17
				30/1/18
				6/3/18
				28/5/18

### अनवान

श्री ज्योति बाई (पु.) पुत्र राधाबाई देवी श्री विनोदजी चोपरा शोनी

निवासी 11059156 निवासी 11059156

61 फेल

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त /

डिकीदार

A.K. पारीक

अधिवक्ता प्रति. / विपक्षी / रेषाडेन्ट /

नदयूनान

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ  
बाई लेली बनाम दिनेश सिन्हा  
रा 212 रजि नं. 88/15 सन्

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3118	<p>पत्रावली नं. 118 का पत्र क्र. 512 उम माण्डलगढ में पेश हुई। व कुलाम फरिक्के उपायितन/ व नीलं पार्थी के निवेदन पत्र मांजा माण्डलगढ की शरह में लिखत का. नं. 698 रकवा 11 बिल्ला का. नं. 908 रकवा 2 बीला 17 बिल्ला का. नं. 927 रकवा 3 बिल्ला का. नं. 932 रकवा 1 बीला 9 बिल्ला कुल बिल्ला 4 रकवा 5 बीला पर जारी हुके दिनेश विपक्षीयों को इस आशय की इलाक़ा निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीय मूलवास के बिल्ला तथा उपरवाले आशयिआन में पार्थी के कब्जे काशन में दरवा अन्दाजी नदी करे। पत्रावली फंसल शुमा होष नाम ले कम्पे। पत्रावली मूलवासके साथ समान करे।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ</p>